नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म तामील में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मिसल संख्या – 1395 / 2021 निर्णय दिनांक :–26.05.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र –

1. सत्यनारायण गोतम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार **आराजी खसरा नम्बर 833 रकबा 0.49 है0** वाके ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद नही है और न ही किसी न्यायालय का स्थगन आदेश है।

अतः जमाबंदी संवत् **2074–77** में अंकित आराजी **आराजी खसरा नम्बर 833 रकबा 0.49 है0** वाके ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक, की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली